भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 324

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कम जल-प्रधान फसलों की खेती

324. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कम जल-प्रधान फसलों की खेती को बढ़ावा देने और राजस्थान सहित देश में कृषि के लिए विभिन्न जल प्रबंधन तकनीकों के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई नीतिगत उपाय शुरू किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मूल हरित क्रांति राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) को कार्यान्वित कर रहा है ताकि पानी की अधिक खपत वाली धान की फसल वाले क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्रीअन्न) आदि जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए उपयोग में लाया जा सके। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसलों के प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्य संवर्धन, साइट-विशिष्ट गतिविधियों, जागरूकता प्रसार, किसानों के प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) के तहत दलहन, मोटे अनाज और पोषक अनाज (श्रीअन्न); राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एन.एम.ई.ओ.-ओ.एस.) के तहत तिलहन और समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के तहत बागवानी फसलों के विविध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देता है।

भारत सरकार, पीएम-आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत राज्यों को राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए फ्लेक्सेबिलिटी भी प्रदान करती है। राज्य, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) की स्वीकृति से पीएम-आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत कम पानी की खपत वाली फसलों को बढ़ावा दे सकते हैं।

*****